# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

**राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 33 / 2019 / बाड़मेर**

**अपीलांट**

1. अमराराम पुत्र आदाराम
2. सताराम पुत्र हुकमाराम फौत

के कायम मुकाम:–

2 / 1खेराजराम पुत्र सताराम

2 / 2बगताराम पुत्र सताराम

जातियान जाट निवासी हीरा नगर, शोभाला जेतमाल तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

**रेस्पोडेंटगण**

**बनाम** 1.धर्माराम पुत्र टीकमाराम जाति जाट निवासी हीरा नगर, शोभला जेतमाल तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

2.शाखा प्रबन्धक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा मांगता

3.श्रीमान तहसीलदार धोरीमन्ना

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर धौरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 130 / 2015 बअनवान धर्माराम बनाम अमराराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 05.02.2019 के विरूद्ध पेश हुई ।**

**उपस्थित**

1. वकील श्री खेताराम सैन अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राऊराम चौधरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

## निर्णय

दिनांक:– **08.08.2019**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 226 / 2 रकबा 12.15 बीघा ग्राम सियागों की ढाणी (गोलिया जेतमाल) तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 225 व 229 प्रार्थी के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है। रेस्पोडेंट को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थीगण अपनी अन्य भूमि के साथ साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेते है, इसलिए रेस्पोडेंट / प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व विविध संख्या 130 / 2015 पर दर्ज कर बाद सुनवाई 225 मौजा हीरा नगर में से 13 फीट चौड़ा रास्ता स्वीकार किया गया,

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

जिस पर विप्रार्थीगण अमराराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील पेश की गई जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.12.2015 को आदेश पारित करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2015 को अपास्त किया गया तथा पत्रावली इस दिशा निर्देश के रिमाण्ड की गई कि प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर सेढे के दोनों तरफ के खातेदारान को सुनकर युक्तियुक्त निर्णय 30 दिन में पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा अपने अधिवक्ता को पैरवी हेतु नियुक्त कर अपीलांटगण की ओर से समुचित पैरवी करने का आश्वासन दिया गया जिस कारण अपीलांट ने अपने अधिवक्ता पर विश्वास कर लिया जिस पर अधिवक्ता ने अपीलांट की ओर से वकालतनामा पेश किया तथा उसके बाद कोई पैरवी नहीं की गई तथा न जबाव पेश किया गया जिस पर दिनांक 15.01.2019 को अपीलांटगण का जबाव बंद कर पत्रावली को दिनांक 05.02.2019 को अपीलांटगण की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व विविध संख्या 130/2015 पर दर्ज कर बाद सुनवाई 225 मौजा हीरा नगर में से 13 फीट चौड़ा रास्ता स्वीकार किया गया, जिस पर विप्रार्थीगण अमराराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील पेश की गई जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.12.2015 को आदेश पारित करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2015 को अपास्त किया गया तथा पत्रावली इस दिशा निर्देश के रिमाण्ड की गई कि प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर सेढे के दोनों तरफ के खातेदारान को सुनकर युक्तियुक्त निर्णय 30 दिन में पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा अपने अधिवक्ता को पैरवी हेतु नियुक्त कर अपीलांटगण की ओर से समुचित पैरवी करने का आश्वासन दिया गया जिस कारण अपीलांट ने अपने अधिवक्ता पर विश्वास कर लिया जिस पर अधिवक्ता ने अपीलांट की ओर से वकालतनामा पेश किया तथा उसके बाद कोई पैरवी नहीं की गई तथा न जबाव पेश किया गया जिस पर दिनांक 15.01.2019 को अपीलांटगण का जबाव बंद कर पत्रावली को दिनांक 05.02.2019 को अपीलांटगण की अनुपस्थिति में अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 226/2 रकबा 12.15 बीघा ग्राम सियागों की ढाणी (गोलिया जेतमाल) तहसील गुड़ामालानी में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। उतरदाता संख्या 01 द्वारा मौके पर अपीलांटगण के कब्जे काश्त में से रास्ता निकालने का प्रयास किया जाने लगा जिस पर अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अधिवक्ता न कोई संतोषजनक जबाव नहीं दिया तथा पत्रावली निर्णित होने का बताया जिस पर अपीलाधीन आलोच्य आदेश की नकल दिनांक 04.06.2019 को प्राप्त की तो अपीलांट को अपने अधिवक्ता की लापरवाही की जानकारी हुई वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/वादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। जिसका कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। जबकि अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन की व्याख्या स्पष्ट करनी होती है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुचे कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा की गई देरी सद्भाविक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में पारित किया गया है। तथा अपील पेश करने में हुई देरी को Explain भी नहीं किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

गया। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। चूंकि पत्रावली पर मैरिट की बहस भी सुनी जा चुकी है। अतः पत्रावली पर निर्णय मैरिट पर भी करना उचित होगा।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के प्रथम निर्णय के विरूद्ध अपील होने पर निर्णय अपास्त कर मामला रिमाण्ड कर निर्देश दिये गए कि "पत्रावली पुनः दर्ज कर प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर युक्तिसंगत निर्णय 30 दिवस में पारित करें। पत्रावली पुनः सुनवाई पर लेकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी(रेस्पोडेंट संख्या 01) द्वारा प्रस्तुत संशोधित आवेदन लिया। दिनांक 28.11.2017 को प्रार्थी का संशोधित आवेदन स्वीकार किया तथा मौका रिपोर्ट तहसीलदार धोरीमन्ना से मंगवाने के आदेश दिये गए। विप्रार्थी संख्या 01(अपीलांट संख्या 01) की ओर से वकील श्री भाखराराम ने दिनांक 19.12.2017 को वकालतनामा पेश किया पुनः दिनांक 20.02.2018 को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से भी देवाराम चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया। पर्याप्त अवसर देने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 01 व 02 (अपीलांट्स) द्वारा कोई जबाव नहीं दिया तब भी अंतिम अवसर इस आदेश के साथ दिया कि जबाव न देने की अवस्था में जबाव स्वत बंद हो जाएगा। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जबाव दिया गया पर अपीलांट संख्या 02 का जबाव स्वत बंद हो चुका। तत्पश्चात दिनांक 05.02.2019 को उभयपक्ष के उपस्थति अधिवक्ताओं की बहस सुनकर फैसला किया गया। यह निर्णय न्यायालय हाजा के निर्देश के अनुरूप "युक्तिसंगत रूप से किया गया है जो तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट पर आधारित है। इस रिपोर्ट से अपीलांट की रास्ता नहीं देने की नीयत साफ झलकती है। वह प्रस्तावित रास्ते में अवरोध पैदा करने की कार्यवाही में लिप्त है। न्यायालय में उपस्थित अपीलांट संख्या 01 अमराराम की मंशा है कि वह जमीन के बदले जमीन देने पर ही रास्ते की सहमति देगा अन्यथा हरगिज नहीं। रास्ते की भूमि का कानून सम्मत निर्धारित मुआवजा राशि दिये जाने का प्रावधान है। अपीलांट की गैर कानूनी मांग स्वीकार्य नहीं हैं। **रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत ढंग से दोनों खेतों में से उनकी सीमाओ पर बराबर दिया गया है।** अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थी को उसको मिले

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट मियाद बाहर एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धौरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 130/2015 बअनवान धर्माराम बनाम अमराराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 05.02.2019 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को आदेशित किया जाता है कि वह अविलम्ब राजस्व रेकर्ड में दर्ज करके रास्ते को सार्वजनिक आवागमन हेतु खुलवाकर सुचारू करे।

8/8/19

(नखतदान आसिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/8/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner